उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3
संख्या–1896/60–3–15–13(13)/14
लखनऊ:: दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2015 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–17 ख के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा संशोधित नियम
नियम–17 (ख) का संशोधन	इस कोष से सम्बन्धित (I.E.C.) आई0ई0सी0 किया कलापों के लिए कोष का एक प्रतिशत आरक्षित रखा जायेगा।	इस कोष से सम्बन्धित (I.E.C.) आई0ई0सी0 किया कलापों के लिए कोष का तीन प्रतिशत आरक्षित रखा जायेगा।

आज्ञा से,
21/12/15
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

C-2 desktop rule 3